# कार्यालय जिला परिषद्, बोकारो।

**—:: आम सूचना ::—**

जिला परिषद् कार्यालय, बोकारो में साईलेंट जेनेरेटर (डि0 जी0 सेट) 62 KVA Three Phase, purchase with installation करने हेतु आम सूचना का प्रकाशन किया जाता है। भाव पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 15/10/2025 को अपराह्न 4:00PM बजे होगी। इच्छुक कंपनी/फर्म/प्रतिष्ठान अंतिम तिथि एवं समय तक जिला परिषद् कार्यालय, बोकारो में अपना भाव पत्र समर्पित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले भाव पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय के अन्दर प्राप्त हुए सभी भाव पत्र को दिनांक 15/10/2025 को अप0/पूर्वा0 4:30 PM बजे जिला परिषद् क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा। निविदा खोलने के समय भावपत्रदाता/उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। तकनीकी कागजात एवं विस्तृत जानकारी जिला परिषद् बोकारो के विभागीय वेबसाईट www.zilaparishadbokaro.com पर देखा जा सकता है।

18/09

Excutive Officer
Zila Parishad, Bokaro

**उप विकास आयुक्त–सह–**
**मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,**
**जिला परिषद्, बोकारो।**

## नियम एवं शर्तें:–

1. भावपत्रदाता द्वारा पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
2. भावपत्रदाता द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्ष का आयकर सफाया प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
3. भावपत्रदाता को GST Registration Certificate with latest GST Return संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. भावपत्रदाता के पास कंम्पनी के द्वारा निर्गत प्राधिकृत पत्र एवं कार्य करने से सबंधित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. भावपत्रदाता द्वारा किसी भी सरकारी/गैरसरकारी विभाग में काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा में भाग लेने हेतु सुरक्षित राशि के रूप में 50000.00 (पचास हजार) रू0 का डिमांड ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा DDC-cum-CEO, Zila Parishad, Bokaro के नाम से देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. न्यूनतम भावपत्रदाता को कार्यादेश निर्गत होने के उपरांत निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा, कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा जमा सुरक्षित राशि को जब्त करते हुए काली सूची में नाम डालने संबंधित अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
8. न्यूनतम भावपत्रदाता के द्वारा सफलतापूर्वक कार्य पूर्ण करने के उपरांत जमा सुरक्षित राशि का डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दी जाएगी।
9. किसी भी समय निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बोकारो के पास सुरक्षित रहेगा।